HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16014/2026
CNR: RJHC020982592026 | URN: CRLMB / 29696U / 2026

Sudarshan Awasthi S/o Shri Ajya Kumar, Aged About 25 Years, R/o House Number 188, Jawahar Nagar Mungaska, Police Station Neb, Alwar Shahar District Alwar (Rajasthan) (Accused Petitioner Confined In Jail Situated At District Khairthal-Tijara (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16951/2026
CNR: RJHC021019612026 | URN: CRLMB / 31275U / 2026

Govind Chatwani S/o Shambhu Dayal, Aged About 35 Years, R/o Vyapari Mohallan, Ward No. 4, Jhunjhunu (Rajasthan) Presently Resident Of Flat No. 1/07 First Floor Krishi City, Phase -1, Police Station Tapukada, District Khairthal-Tijara (Rajasthan) (Presently Confined In Sub Jail Kishangarhbas District Alwar)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16952/2026
CNR: RJHC021016502026 | URN: CRLMB / 31276U / 2026

Omveer Singh S/o Bane Singh, Aged About 36 Years, R/o Cheemapura, Police Station Baswa, District Dausa, Presently Residing At Flat No M/61, Ground Floor, Krishi City, Phase 01, Police Station Tapukada, District Khairthal Tijara (Rajasthan) (Presently Confined In Sub Jail, Kishangarhbas District Alwar).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Prakash Chand Thakuriya

Mr. Rajneesh Gupta

For Respondent(s) : Mr. S.R.Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/10/2026

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना–पत्र संख्या **01/2026** आरोप–पत्र की प्रति पर कार्यालय आपत्ति इंगित होने से उसे दूर कर अभिलेख पर लिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया है, जिस पर सुना गया।

इस प्रक्रम पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सुदर्शन, गोविन्द चतवानी एवं ओमवीर सिंह** की ओर से जमानत के तीन पृथक–पृथक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना **टपूकड़ा जिला खैरथल–तिजारा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **128/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 338, 336(2)(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं।

तीनों प्रार्थना–पत्र एक ही प्रकरण से सम्बन्धित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है।

बहस जमानत प्रार्थना–पत्र के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त **सुदर्शन** का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि आरम्भ में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 319(2), 338, 336(2)(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में प्रकरण दर्ज हुआ था परंतु अन्वेषण के उपरांत उसके विरूद्ध केवल धारा 336(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध में ही आरोप–पत्र पेश किया गया है, जो असंज्ञेय एवं जमानतीय प्रकृति का है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.09.2026 से अभिरक्षा में है। आरोप–पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जावे।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **ओमवीर सिंह एवं गोविन्द चतवानी** के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में राजनीतिक द्वेषता के कारण मिथ्या फंसाया गया है। वास्तविकता में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कृषसिटी रेजीडेंट्स वैलफेयर सोसायटी के कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष हैं तथा सोसायटी के सचिव योगेश ने द्वेषता से उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। उनका तर्क है कि पक्षकारों के मध्य सक्षम प्राधिकारी सहकारी समिति के समक्ष विवाद भी लम्बित रहा है और उनके द्वारा आदेश भी दिया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर यह आक्षेप है कि उन्होंने योगेश के फर्जी हस्ताक्षर क्षतिपूर्ति बंध–पत्र (Indemnity bond) पर बनाकर बैंक में प्रस्तुत किया एवं समिति के खाते को संचालित करने का प्रयास किया। उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त नहीं की गई है। बैंक खाते का संचालन इस क्षतिपूर्ति बंध–पत्र (Indemnity bond) के आधार पर नहीं हुआ है। वे दिनांक 17.09.2026 से अभिरक्षा में हैं। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आरोप–पत्र पेश हो चुका है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने परिवादी योगेश जो कि कृषसिटी रेजीडेंट्स वैलफेयर सोसायटी का सचिव है के क्षतिपूर्ति बंध–पत्र (Indemnity bond) पर फर्जी हस्ताक्षर किए तथा उसे बैंक में इस हेतु प्रस्तुत किया कि वे हस्ताक्षर करने वालों के नाम बदलकर समिति के खाते का संचालन कर सकें। उनका तर्क है कि खाता इसलिए संचालित नहीं किया जा सका क्योंकि परिवादी ने उक्त रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। उनके विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **सुदर्शन** के विरूद्ध धारा 336(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध में आरोप–पत्र पेश किया गया है। आरोपित अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय प्रकृति का है। अन्य अभियुक्तगण **गोविन्द चतवानी एवं ओमवीर सिंह** के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 338, 336(2)(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में आरोप–पत्र पेश किया गया है। उन

पर क्षतिपूर्ति बंध (Indemnity bond) पर सचिव योगेश के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक में उसे पेश कर खाता संचालित करने का प्रयास करने का अभियोग है परंतु उन्होंने किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त की हो, ऐसा दर्शित नहीं है। सभी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 17.09.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तीनों जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्तगण **1. सुदर्शन अवस्थी पुत्र अजय कुमार, 2. गोविन्द चतवानी पुत्र शंभूदयाल एवं 3. ओमवीर सिंह पुत्र बनेसिंह** की ओर से प्रस्तुत उक्त तीनों जमानत प्रार्थनापत्र **इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्तगण भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे** स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को ये निर्देश भी दिये जाते हैं कि वे प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। संबंधित थानाधिकारी उनकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्तगण द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्तगण के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

50-52/AJAY KUMAR SINGHAL